<u>लोक–सुनवाई का वृत</u>

मेसर्स..साहेब कन्स्ट्रक्शन, प्रो–श्री साहेब राय, बड़ा तेलपा, भिखारी चौक, जिला–सारण, द्वारा गंगा नदी के डोरीगंज बालूघाट (युनिट–7) मौजा–चिराँद, पो०–डोरीगंज, जिला–सारण, में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक–09.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखण्ड सभागार, प्रखंड.–छपरा जिला–सारण के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, सं0– एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या. SIA/BR/MIN/414751/2023 दिनांक.16.02.2023 के आलोक में मो० मुमताज आलम, अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई है। **(प्रतिलिपि संलग्न)।** लोक सुनवाई के दौरान श्री एस०एन० ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुजफ्फपुर के द्वारा अपर समाहर्त्ता महोदय, खनिज विकास पदाधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण एवं लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय एवं खनन पट्टाधारक का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता महोदय के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शत्रुधन प्रसाद ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा डोरीगंज बालूघाट (युनिट–7) गंगा नदी के मौजा–चिराँद, पो०–डोरीगंज, जिला–सारण, में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री साहेब राय, पिता–श्री बबन राय को इस खनन पट्टा के लिए वैधान्तिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा डोरीगंज बालूघाट (ब्लॉक–7) से प्रतिवर्ष 2,70,000 घनमीटर या 4,02,300 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत 3.56 करोड़ (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के डोरीगंज बालूघाट युनिट–7 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन पट्टा के सीमा के अन्दर ''वैज्ञानिक विधि'' तथा अनुमोदित ''खनन योजना'' के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए है।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोइ नुकसान नहीं हो।
4. खनन का कार्य केवल 3 मीटर गहराई तक अथवा भूगर्भीय जल सतह के उपर तक ही सीमित रहेगा।

5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य पेड़ लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पॉच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गॉंव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निकासी किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणें के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। नदी से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र किया जाएगा। वहां से बालू (खनिज) से रिसने वाला जल, मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना है। बालू (खनिज) में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन को नियंत्रण करेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
11. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
12. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री मुकेश कुमार, सिगहीं, सारण – इनके द्वारा प्रस्तावित बालू खनन के क्रियाकलाप से आसपास के आबादी एवं स्कुल का ध्यान रखने के लिए नियमानुसार प्रदुषण नियंत्रण संबंधी व्यवस्था होनी चाहिए।	आबादी एवं स्कूल क्षेत्र के पास वाहनों द्वारा अनावश्यक हॉर्न का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस क्षेत्र से गुजरने वाले वांहनों को त्रिपाल से ढ़क कर बालू का परिवहन किया जाएगा।
2.	श्री.कमलेश कुमार यादव, डोरीगंज – सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण, सड़कों पर नियमित जल छिड़काव होना चाहिए।	खनन पट्टाधारक द्वारा इस संबंध में अनुपालन करने के लिए विभाग के निदेशानुसार तैयार है।
3.	श्री पवन कुमार राय, डोरीगंज – इनके पंचायत में बालू के परिवहन से काफी धुलकण की समस्या हैं। इसके समाधान का उपाय होना चाहिए।	सड़कों पर नियमित रूप से जलछिड़काव की जाएगी। साथ ही सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण भी की जाएगी।
4.	श्री सुरेश राय, रामगुड़ीग्रामा, डोरीगंज – इनके द्वारा मॉंग की गई की बालू का ढुलाई एवं नियमानुसार लोडिंग	खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि बालू की ढुलाई त्रिपाल से ढ़क कर एवं नियमानुसार वांहनों

	किया जाय। क्षेत्र में नदी के किनारे एवं सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण की जाय।	पर लोडिंग करवाई जाएगी। नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद राय, अध्यक्ष, ट्रक एसोसिएसन संघ, सारण – डोरीगंज क्षेत्र के पास तीन पंचायत पड़ता है जो धुलकण से परेशान रहते है। सड़क का भी देखभाल प्रशासन द्वारा कराया जाना चाहिए ताकि दुर्घटना कम हो।	इस संबंध में अपर समाहर्त्ता महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि सड़कों का देखरेख समुचित ढ़ंग से करने के लिए संबंधित विभाग को निदेश दिया जाएगा।

खनिज विकास पदाधिकारी, सारण द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि बालू खनन एवं परिवहन का कार्य नियमानुसार कराया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता, साथ ही इसका समुचित निकासी से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभा होता है। पर्यावरण के सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाए सुझाए गए हैं। नियमों का पालन नहीं होने संबंधि सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

9.8.2023 9/8/23

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण, पर्षद,
मुजफ्फरपुर

अपर समाहर्त्ता,
सारण।

उपस्थिति सूची

मेसर्स साहेब कन्सट्रक्शन, प्रो० श्री साहेब राय, पिता-श्री बबन राय, बड़ा तेलपा, भिखारी चौक, सारण द्वारा गंगा नदी के डोरीगंज घाट (यूनिट-07) मौजा-चिराँद, पो०-डोरीगंज, प्रखंड-छपरा, जिला-सारण में बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 09.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखंड सभागार, छपरा, जिला- सारण में आयोजित लोक- सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Adm Chhapra	Saran (Chhapra)	[signature]
2.	एस. एन. ठाकुर	क्षेत्रीय पदाधिकारी बि० रा० प्र० नि० पर्षद, मुजफ्फरपुर	[signature] 9.8.2023
3.	Upendra Thakur	G.M. D.I.C., Saran	[signature] 9.8.23
4.	Lal Bihari Prasad	MDO, Saran	[signature] 9.8.2023
5.	जितेन्द्र कुमार	लिपिक सारण	
6.	Shatrughan Prasad	Ocean Enviro	S. Prasad. 09.08.2023.
7.	मनिष कुमार यादव	ग्राम डोरीगंज	मनिष यादव
8.	अनिल राय	ग्राम - सिंगही आना-डोरीगंज	Anil Ray.
9.	जितेन्द्र साह	ग्राम - बलवंत टोला	Jitendra Sah
10.	राजू कुमार	ग्राम - भिखारी चौक	[signature]

11.	कौशल कुमार	सेंठा	Kaushal Kumar
12.	कृष्ण मोहन प्र०	डोरीगंज	[illegible]
13.	सुपन कुमार	डोरीगंज	सुपन कुमार
14.	उमेश यादव	डोरीगंज	Udesh Kr yadav
15.	लालबाबू यादव	नावादा डोरीगंज	लालबाबू यादव
16.	अजय राम	पो०- नेहटौली, थाना- डोरीगंज छपरा सदर	अजय राम [illegible]
17.	दिलीप यादव	डोरीगंज छपरा	दिलीप यादव
18.	अमीर राय	डोरीगंज छपरा	अमीर राय
19.	मुकेश कुमार	घर सिंगाही थाना डोरीगंज	मुकेश कुमार
20.	प्रदीप कुमार	डोरीगंज	प्रदीप कुमार
21.	ABHAY KUMAR	Singahi P.O.-Dumri P.S.- Dorigunj	[illegible] 9/8/2023
22.	ब्रिज कुमार यादव	घर- सिंगाही थाना, डोरीगंज	ब्रिज कुमार यादव 09/08/023
23.	उदित राय	सिंगाही, डोरीगंज	उदित राय
24.	Rambeel Ram	Kutubpur Dorigunj Chapra	[illegible]
25.	राजेन्द्र प्रसाद राय	अध्यक्ष- सारण जिला [illegible] ऑनर्स एसोसिएशन छपरा	[illegible] 09.08.23

26.	Dinesh Kumar [illegible]	Ghurmudeli [illegible]	[illegible] 9/8/23
27.			
28.	संजय [illegible]	[illegible]	
29.	अजय कुमार सिंह	ग्राम + पो० खलपुरा थाना छपरा मुफस्सिल जिला (सारण)	अजय कुमार सिंह
30.	मुकेश कु० सिंह	ग्रा + पो० - खलपुरा थाना - मुफस्सिल छपरा (सारण)	मुकेश कु० सिंह
31.	कमल सिंह	ग्रा + पो० - खलपुरा थाना छपरा (सारण)	कमल सिंह
32.	धनंजय सिंह	ग्राम पंचायत खलपुरा उप मुखिया	धनंजय सिंह
33.	[illegible] कुमार सिंह	ग्राम + पो० खलपुरा	[illegible]
34.	Surendra Singh	Khalpura (Bala)	Surendra Singh
35.	राजकिशोर कुमार	शेरपुर गंज	राजकिशोर कुमार
36.	आकाश कुमार	पारासा	आकाश कुमार
37.	जोगीलाल सिंह	खलपुरा	जोगीलाल सिंह
38.	Brij Kumar Singh	Khalpura Chhapra Saran	Brij Kumar [illegible]
39.	रंजन कु० शुक्ला	खलपुरा छपरा सारण	Ranjan Kumar
40.	Vishvajit Kumar Singh	Khalpura (chhapra saran)	[illegible]

41.	Amit Kr. Singh.	Env. Consultants.	[illegible]
42.	सोहिल राय	[illegible] Consultant	सोहिल राय 9/8/23
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			